

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

योगेश सैनी पुत्र सुवालाल सैनी बनाम नामालूम पुत्र नामालूम वगैरे

किरम मुकदमा - विविध कैवियट प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर - 94/2024


जज के अहकाम से इस हुक्म की लाठी में जारी हुई

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर

18 10 2024

प्रार्थी की ओर से श्री अरविन्द कुमार शर्मा एडो के द्वारा एक प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 29.05.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश की गई थी। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को न्यायालय में पेश हुए 90 दिवस से भी अधिक का समय हो चुका है। जिसके कारण उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से इस कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फैसल किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

